

बिहार सरकार  
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,  
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।  
फोन नं०-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

पत्रांक-सं०सं०-07/रा०आ०नि०/कोर्ट केस-01/2019-.....102/आ० नि० कौ०

दिनांक-31.जनवरी'19

प्रेषक,

डॉ० शिवाजी कुमार,  
राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,  
बिहार, पटना।

**विषय :-** Writ Petition (Civil) No.-292 of 2006 Disabled Rights Group & ANR. Vs Union of India & Ors. में पारित न्यायादेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**प्रसंग :-** दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना का पत्र सं०-67 दिनांक-24.01.2019 तथा समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना का पत्र सं०-594 दि०-29.01.2019

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत Writ Petition (Civil) No.-292 of 2006 Disabled Rights Group & ANR. Vs Union of India & Ors. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-15.12.2017 की प्रति संलग्न करते हुए सम्बन्धित कंडिकाओं के विषय में अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में निम्न प्रतिवेदन प्रेषित है :-

(1) राज्य आयुक्त निःशक्तता की अध्यक्षता में सभी विभागों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों के तहत दिये गये निदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-32 के अनुपालन हेतु संकल्प निर्गत किया जा चुका है (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प सं०-7162 दि०-31.05.2018 की प्रति संलग्न)।

(2) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में शामिल शिक्षा विषय से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारियों के साथ दि०-31.07.2018 को समीक्षात्मक बैठक आयोजित करते हुए अधिनियम, 2016 के अनुपालनार्थ निदेश दिये गये हैं।

(3) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में शामिल सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन, जिसमें तकनीकी शिक्षण का विषय भी शामिल है, के सम्बन्ध में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के उच्च पदाधिकारियों के साथ दि०-20.09.2018 को समीक्षात्मक बैठक आयोजित करते हुए अधिनियम, 2016 के अनुपालनार्थ निदेश दिये गये हैं।

(4) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 में शामिल दिव्यांगजनों के शिक्षण से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में सरकारी शिक्षण बोर्डों एवं समितियों के प्रतिनिधियों के साथ दि0-11.09.2018 को समीक्षात्मक बैठक आयोजित करते हुए अधिनियम,2016 में वर्णित सुसंगत प्रावधानों के अनुपालनार्थ निदेश दिये गये हैं।

(5) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 में शामिल छः वर्ष से अठारह वर्ष की उम्र के दिव्यांगजनों के शिक्षण विषय से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के उच्च पदाधिकारियों के साथ दि0-08.01.2019 को समीक्षात्मक बैठक आयोजित करते हुए अधिनियम,2016 के अनुपालनार्थ निदेश दिये गये हैं।

(6) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत विविध जिलों के जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन के दौरान जिला स्थित विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों तथा जिला एवं प्रखण्ड स्तर के प्रमुख शिक्षा पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें आयोजित कर अधिनियम,2016 के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई है एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में अब तक आयोजित बैठकों की सूची प्रासंगिक विवरण सहित निम्नानुसार है :-

क्र0 स0	जिला	बैठक की तिथि	कार्यक्रम	उपस्थिति	अभ्युक्ति
1.	मधुबनी		विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक	विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य	अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये।
		17.05.2018	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला एवं ब्लॉक स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के साथ बैठक	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, 2. सभी प्रखण्ड शिक्षा पदा0 3. सभी प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य	
2.	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)		विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक	विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य	अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये।
		11.06.2018	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला एवं ब्लॉक स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के साथ बैठक	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, 2. सभी प्रखण्ड शिक्षा पदा0 3. सभी प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य	
3.	भागलपुर		विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक	विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य	अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये।
		11.07.2018	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला एवं ब्लॉक स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के साथ बैठक	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, 2. सभी प्रखण्ड शिक्षा पदा0 3. सभी प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य	
4.	गया		विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक	विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य	अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये।
		23.07.2018	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला एवं ब्लॉक स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के साथ बैठक	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, 2. सभी प्रखण्ड शिक्षा पदा0 3. सभी प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य	






18.	औरंगाबाद	21.01.2019	विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक	विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य	अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिये गये।
		22.01.2019	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला एवं ब्लॉक स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के साथ बैठक	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, 2. सभी प्रखण्ड शिक्षा पदा0 3. सभी प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य	
19.	सीतामढ़ी	28.01.2019	विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक	विश्वविद्यालय/कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य	अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिये गये।
		29.01.2019	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला एवं ब्लॉक स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के साथ बैठक	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, 2. सभी प्रखण्ड शिक्षा पदा0 3. सभी प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य	अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिये गये।

(7) प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न न्यायादेश दि0-15.12.2017 में राज्य आयुक्त निःशक्तता हेतु निदेशित विशिष्ट उत्तरदायित्वों के निर्वहन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों यथा शिक्षा विभाग, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं बिहार राजभवन का कार्यालय को पत्र प्रेषित कर अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है।


अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन  
  
 31.01.19  
 राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
 बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-07/रा0आ0नि0/कोर्ट केस-01/2019-102/आ0 नि0 को0

दिनांक-31.जनवरी'19


प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-594 दि0-29.01.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
 31.01.19  
 राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
 बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-07/रा0आ0नि0/कोर्ट केस-01/2019-102/आ0 नि0 को0

दिनांक-31.जनवरी'19

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
 31.01.19  
 राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
 बिहार, पटना।